उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–8
संख्या- 193 / 2016 / 17(120) / XXVII(8) / 2014
देहरादूनः दिनांक :: 02 मार्च, 2016

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है,

अतएव, अब, उत्तराखण्ड उपकर अधिनियम, 2015 (अधिनियम सं0 23 वर्ष 2015) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम 1 वर्ष 1904), (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त), की धारा 21 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, सहर्ष आदेश करते हैं कि इस अधिसूचना के प्रवृत्त होने के तिथि की अगली तिथि से, उत्तराखण्ड उपकर अधिनियम, 2015 की अनुसूची II में विनिर्दिष्ट माल की प्रविष्टि पर निम्नवत् विनिर्दिष्ट उपकर के भार तथा दर पर उपकर उद्ग्रहित तथा संग्रहित किया जाएगा–

अनुसूची–II

क्र0सं0	माल का विवरण	उपकर का भार	उपकर की दर
1	सभी प्रकार की शराब	उपभोक्ता को विक्रय के बिन्दु पर	माल के मूल्य का दो प्रतिशत
2	खैनी, तम्बाकू, सिगरेट, गुटका	विनिर्माता के बिन्दु पर या राज्य के बाहर से आयात किए जाने के उपरान्त राज्य में प्रथम विक्री के बिन्दु पर	माल के मूल्य का दो प्रतिशत

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

सं0-193(1)/2016 / 17(120) / XXVII(8) / 2014 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1–आयुक्त, कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
2–निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी / अंग्रेजी प्रतियॉं इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100–100 प्रतियॉं वित्त अनुभाग–8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
3–भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
4–सलाहकार 'कर', उत्तराखण्ड शासन।
5–एन0आई0सी0
6–गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,
(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनुसचिव।